

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सेठपाल स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री सेठपाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सेठपाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(कै०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2634 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सेठपाल स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सेठपाल को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री सेठपाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री जय सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री जय सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री जय सिंह का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2635 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री जय सिंह स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री जय सिंह को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री जय सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड फ़ाइल।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्र प्रकाश स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	जनहित

श्री चन्द्र प्रकाश, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री चन्द्र प्रकाश का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि० / 2636 / स्था०अनु०-1 / वर्ग-2 / स्थानान्तरण / 2025-26 / दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री चन्द्र प्रकाश स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री चन्द्र प्रकाश को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि, श्री चन्द्र प्रकाश की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी बागेश्वर।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमौल मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री सचिन कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री सचिन कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सचिन कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।



(क०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2637 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री सचिन कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री सचिन कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री अनिल कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अनिल कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।



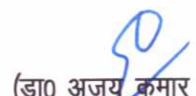
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2638 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अनिल कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अनिल कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अनुज कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट	मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर	जनहित

श्री अनुज कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अनुज कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2639 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अनुज कुमार स.कृ.अ.वर्ग- 2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अनुज कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी ऊधमसिंहनगर को इस आशय से कि, श्री अनुज कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड फत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री उपेन्द्र कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री उपेन्द्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री उपेन्द्र कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2640 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री उपेन्द्र कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री उपेन्द्र कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड फ़ावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री संदीप स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अगस्त्यमुनि	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री संदीप, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री संदीप का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2641 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री संदीप स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अगस्त्यमुनि।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अगस्त्यमुनि को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री संदीप को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री संदीप की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी रुद्रप्रयाग।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अंकुर कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री अंकुर कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अंकुर कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2642 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अंकुर कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अंकुर कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री राज कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री राज कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री राज कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2643 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री राज कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री राज कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अरुण कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	जनहित

श्री अरुण कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री अरुण कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में नियमानुसार अपने स्तर से तैनाती करना सुनिश्चित करें।

एण-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि० / 2644 /स्था०अनु०-1 /वर्ग-2 /स्थानान्तरण /2025-26 /दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अरुण कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अरुण कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी चमोली।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

50
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री दीपक भण्डारी स०क०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ	जनहित

श्री दीपक भण्डारी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री दीपक भण्डारी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

24-
(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक:- कृ0नि0/2645 /स्था0अनु0-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री दीपक भण्डारी स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नरेन्द्रनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री दीपक भण्डारी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ को इस आशय से कि, श्री भण्डारी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी गढ़वाल/पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड फ़ाइल।

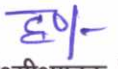
(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री विरेश कुमार स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट	जनहित

श्री विरेश कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री विरेश कुमार का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि० / 2646 / स्था०अनु०-1 / वर्ग-2 / स्थानान्तरण / 2025-26 / दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री विरेश कुमार स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री विरेश कुमार को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट को इस आशय से कि, श्री कुमार की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।


(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री नन्द किशोर नौटियाल स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली	जनहित

श्री नन्द किशोर नौटियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री नौटियाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।


(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2647 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री नन्द किशोर नौटियाल स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी उत्तरकाशी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री नन्द किशोर नौटियाल को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली को इस आशय से कि, श्री नौटियाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी/चमोली।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।

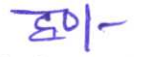

(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री अंशु गुप्ता स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर	जनहित

श्री अंशु गुप्ता, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री गुप्ता का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2648 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री अंशु गुप्ता स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी लोहाघाट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री अंशु गुप्ता को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर को इस आशय से कि, श्री गुप्ता की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी चम्पावत/बागेश्वर।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड फ़ावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती प्रियंका कब्जाल स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट	जनहित

श्रीमती प्रियंका कब्जाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती कब्जाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(क०सी०पाठक)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2849 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्रीमती प्रियंका कब्जाल स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती कब्जाल को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी डीडीहाट को इस आशय से कि, श्रीमती कब्जाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी अल्मोडा/पिथौरागढ़।
- 6- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल हल्द्वानी।
- 7- गार्ड फ़ाइल।



(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,

(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री प्रमोद कोठियाल स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट	जनहित

श्री प्रमोद कोठियाल, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री कोठियाल का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि० / 2650 / स्था०अनु०-1 / वर्ग-2 / स्थानान्तरण / 2025-26 / दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री प्रमोद कोठियाल स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी नई टिहरी को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री कोठियाल को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी धुमाकोट को इस आशय से कि, श्री कोठियाल की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी टिहरी गढ़वाल/पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में जनहित में किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ज्योति नेगी स०कृ०अ०,वर्ग-2 (विकास शाखा)	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ	जनहित

श्रीमती ज्योति नेगी, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती नेगी का स्थानान्तरण जनहित में होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2651 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्रीमती ज्योति नेगी स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट।
- 2- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बडकोट को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्रीमती नेगी को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पाबौ को इस आशय से कि, श्रीमती नेगी की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)
उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1) 2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017, कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 282747/XXX(2)/2025-E 20917/ दिनांक 17.03.2025 एवं शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080/ दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक 02.06.2025 में प्रदत्त संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिक का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम 4 अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर किया जाता है।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री धनपाल सिंह स०कृ०अ०,वर्ग-2 (रसायन शाखा)	सहा०निदेशक क्षे०मृ०परी०प्रयो० श्रीनगर	मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार	स्वयं के अनुरोध

श्री धनपाल सिंह, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियमानुसार आदेश निर्गत होने के 10 दिनों के अन्दर उपरोक्त आवंटित नवीन तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्री सिंह का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर होने के फलस्वरूप इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।



(के०सी०पाठक)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:- कृ०नि०/ 2652 /स्था०अनु०-1/वर्ग-2/स्थानान्तरण/2025-26/दिनांक 10/6/25
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- श्री धनपाल सिंह स.कृ.अ.वर्ग-2, द्वारा सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर।
- 2- सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर को इस निर्देश के साथ कि वे अधिनियमानुसार श्री धनपाल सिंह को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि, श्री धनपाल सिंह की योगदान सूचना से निदेशालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी।
- 5- मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी।
- 6- अपर कृषि निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 7- गार्ड पत्रावली।



(डा० अजय कुमार वर्मा)

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।